[2020] 9 एस.सी.आर. 472

सगुफ़ा अहमद और अन्य

बनाम

अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3007-3008/2020) 18 सितंबर, 2020

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए.एस. बोपन्ना और बी. रामा सुब्रह्मण्यम, न्यायमूर्तिगण]

कंपनी अधिनियम, 1956:

धारा 421(3) प्रावधान - 45 दिनों से अधिक की देरी - अपील दायर करने में - राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ - देरी की माफी के लिए आवेदन और साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज की गई अपील - सर्वोच्च न्यायालय में अपील – अभिनिर्धारित:अपीलीय न्यायाधिकरण को केवल 45 दिनों की अवधि तक की देरी को माफ करने का अधिकार दिया गया - 45 दिनों से अधिक की देरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर भी माफ नहीं किया जा सकता था, जिसके अन्तर्गत परिसीमा की अवधि को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बढ़ाया गया था।

मैग्जिम्स:

'विधि केवल उन लोगों की सहायता करेगा जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, न कि उनकी जो उनकी अनदेखी करते हैं।' - की प्रयोज्यता

परिपरिपरिसीमा अधिनियम, 1963:

धारा 4- वाक्यांश 'निर्धारित अवधि' - का अर्थ- अभिनिर्धारित: वाक्यांश सीमा की अवधि को दर्शाता है, न कि उस अवधि को जिसके दौरान न्यायालय/न्यायाधिकरण के पास किसी व्यक्ति को कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का विवेक है।

शब्द और वाक्यांश:

वाक्यांश "परिसीमा काल' - परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के संदर्भ में, अर्थ।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 यह सही है कि धारा 421(3) में निर्धारित 45 दिनों की सीमा अवधि केवल उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस दिन ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी सही है कि नियम 50 के साथ पठित अधिनियम की धारा 420(3) के अन्तर्गत अपीलकर्ता आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के हकदार थे। इसलिए यदि अपीलकर्ताओं ने प्रतिलिपि आवेदन दायर नहीं करने बल्कि नियम 50 के साथ पठित

अधिनियम की धारा 420(3) के संदर्भ में आदेश की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना है,
जिस तारीख से परिसीमा चलना शुरू होगी, उसे तय करने के लिए धारा 421(3) का सहारा लेना पूरी तरह से उचित होगा। लेकिन अपीलकर्ताओं ने, उनकी उपस्थिति में आदेश की घोषणा के 27 दिनों के बाद प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का विकल्प चुना और अब वे धारा 421(3) पर वापस आ गए हैं। [पैरा 13 और 14][477-डी-एफ]

1.2 दिनांक 19.12.2019 से, जिस तारीख को अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई थी, परिसीमा की अवधि को चलने से नहीं रोका जा सकता है। दिनांक 19.12.2019 से, जिस तारीख को अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई, अपीलकर्ताओं के पास अपील दायर करने के लिए 45 दिनों की अवधि थी। यह अवधि दिनांक 02.02.2020 को समाप्त हो गई। धारा 421(3) के प्रावधान के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण को 45 दिनों की अवधि तक की देरी को माफ करने का अधिकार दिया गया था। 45 दिनों की यह अवधि दिनांक 02.02.2020 से चलनी शुरू हुई और अपीलकर्ताओं के अनुसार दिनांक 18.03.2020 को समाप्त भी हो गई। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 18.03.2020 को या उससे पहले अपील दायर नहीं की, बल्कि दिनांक 20.07.2020 को इसे दायर किया। लॉक डाउन दिनांक 24.03.2020 को लगाया गया था। [पैरा 15, 16 और 17][477-जी-एच; 478-ए-बी]

2.1 दिनांक 18.03.2020 को या उससे पहले अपील दायर करने में असफल होने पर, अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश की सहायता ली गयी है, जिसमें इस न्यायालय ने कोविड-19 वायरस और परिणामी कठिनाइयों के कारण देश के सामने आने वाली चुनौती से उत्पन्न स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया है जिनका देश भर में वादियों को अपनी याचिका/आवेदन/मुकदमा/अपील/अन्य सभी कार्यवाहियों को परिसीमा के सामान्य विधि के अन्तर्गत या विशेष कानूनों (केंद्र और/या राज्य दोनों) के अन्तर्गत निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर दाखिल करने में सामना करना पड़ सकता है। इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा जो बढ़ाया गया था वह केवल "सीमा की अवधि" थी, न कि वह अवधि जिसको क़ानून द्वारा प्रदत्त विवेक के प्रयोग में देरी को माफ किया जा सकता है। उपरोक्त आदेश का उद्देश्य उन सतर्क वादियों को लाभ पहुंचाना था, जिन्हें महामारी और लॉकडाउन के कारण सामान्य या विशेष विधि द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने से रोका गया था। सीमा के नियम का आधार दो लैटिन कहावतों में पाई जाती हैं, जिनमें से एक विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट है, जिसका अर्थ है कि विधि केवल उन लोगों की सहायता करेगा जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, न कि उनकी जो उनकी अनदेखी करते हैं। इसलिए, अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा दि. 23.03.2020 को पारित आदेश के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि उस अवधि तक भी जिसमें देरी को माफ किया जा सकता है। [पैरा 18, 19 और 25][478-सी-ई; 479-बी-सी; 481-डी]

2.2 साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 10 समय की गणना का प्रावधान करती है। साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 10(1) का आधार बनने वाले सिद्धांत को परिसीमा अधिनियम, 1963 की

धारा 4 में भी जगह मिलती है, जो न्यायालय बंद होने पर निर्धारित अवधि की समाप्ति का प्रावधान करती है। शब्द "निर्धारित अवधि" परिसीमा अधिनियम, 1963 की कई धाराओं में दिखाई देते हैं। हालांकि ये शब्द "निर्धारित अवधि" परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 में परिभाषित नहीं हैं, वाक्यांश का उपयोग केवल सीमा की अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। धारा 4 में प्रदर्शित वाक्यांश "निर्धारित अवधि" का अर्थ सीमा अवधि के अलावा किसी अन्य अर्थ में नहीं लगाया जा सकता है। निर्धारित अवधि से परे कोई भी अवधि, जिसके दौरान न्यायालय या ट्रिब्यूनल के पास किसी व्यक्ति को कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है, इसे "निर्धारित अवधि" नहीं माना जा सकता। [पैरा 20, 21, 22 और 23] [479-डी, जीएच: 480-बी-सी, ई)

असम शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम।

सुबाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड (2012) 2 एससीसी

624 [2012] 1 एससीआर 403-से सहायता ली गयी।

केस लॉ रेफरेंस [2012] 1 एससीआर 403 पैरा 24 से सहायता ली गयी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3007-3008/2020

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (एनसीएलएटी) के दिनांक 04.08.2020 के निर्णय और आदेश से 2020 के एलए संख्या 1771 और 2020 की कंपनी अपील (एटी) संख्या 118 के साथ।

मेसर्स धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स, के लिए साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुंजन सिंह, सत्य मित्रा, चन्द्रशेखर ए. चकलब्बी, अंगशुमन सरमा, प्रतिभानु, रक्षा अग्रवाल, शिव कुमार पांडे, अवनीश कुमार, अंशुल राय।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम द्वारा सुनाया गया।

1. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'एनसीएलएटी' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ-साथ समयबाधित अपील को खारिज कर दिया गया, अतः अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त अपील संस्थित की गयी।

2. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गुंजन सिंह और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साजन पूवैया को सुना, जिन्होंने पहले प्रतिवादी की ओर से नोटिस स्वीकार की है।

3. यहां अपीलकर्ता संयुक्त रूप से अपर असम प्लाइवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के 24.89% शेयर रखने का दावा करते हैं, जो यहां पहला प्रतिवादी है। अपीलकर्ताओं ने कंपनी

को बंद करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (इसके बाद 'एनसीएलटी' के रूप में संदर्भित) की गुवाहाटी पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उक्त याचिका को एनसीएलटी ने दिनांक 25.10.2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

4. अपीलकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने दिनांक 21.11.2019 को एनसीएलटी के आदेश दिनांक 25.10.2019 की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था (हालांकि अपीलकर्ताओं ने अपील के ज्ञापन में दावा किया है कि उन्होंने दिनांक 21.11.2019 को प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था, दाखिल आवेदन की प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में है जिस पर तारीख दिनांक 22.11.2019 अंकित है।)

5. अपीलकर्ताओं के अनुसार एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.10.2019 की प्रमाणित प्रति उनके अधिवक्ता को दिनांक 19.12.2019 प्राप्त हुआ।

6. हालांकि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया कि आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त हुई, उन्होंने दिनांक 20.07.2020 को एनसीएलएटी के समक्ष वैधानिक अपील दायर करने का विकल्प चुना। देरी की माफ़ी के लिए एक आवेदन के साथ अपील दायर की गई थी।

7. दिनांक 04.08.2020 के एक आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने देरी को माफ करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ट्रिब्यूनल के पास 45 दिनों की अवधि से अधिक देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। परिणामस्वरूप अपील भी खारिज कर दी गई। यह देरी की माफी के लिए आवेदन और अपील दोनों को खारिज करने के खिलाफ है, अतः अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील, संस्थित की गयी।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क दो प्रकार के हैं, अर्थात् (i) कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी के आदेश की तारीख से सीमा की अवधि की गणना करने में गलती की है, जो कि धारा 421(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के विपरीत है और (ii) कि अपीलीय न्यायाधिकरण लॉकडाउन के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में पारित आदेश दिनांकित 23.03.2020 पर ध्यान देने में विफल रहा, जिसने दिनांक 15.03.2020 से अगले आदेश तक किसी भी कार्यवाही को प्रारम्भ करने की परिसीमा अवधि बढ़ा दी है।

9. आइए अब एक-एक करके तर्कों की सत्यता का परीक्षण करें।

तर्क-1

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 420(3) एनसीएलटी को धारा 420(1) के अन्तर्गत पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति सभी संबंधित पक्षों को भेजने का आदेश देती है। धारा 420(3) इस प्रकार है:

"420. न्यायाधिकरण के आदेश -

(1) xxxx

(2) xxxx

(3) ट्रिब्यूनल पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति इस धारा के अंतर्गत सभी संबंधित पक्षों को भेजेगा।"

11. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 का नियम 50 भी एनसीएलटी की रजिस्ट्री को संबंधित पक्षों को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क भेजने का आदेश देता है। हालाँकि, नियम 50 एनसीएलटी की रजिस्ट्री को अन्य सभी मामलों में फीस की अनुसूची के अनुसार लागत के साथ प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराने में भी सक्षम बनाता है (जिसका अर्थ है 'उन व्यक्तियों को जो पक्ष नहीं हैं')। नियम 50 इस प्रकार है:-

"50. रजिस्ट्री प्रमाणित प्रति भेजेगी - रजिस्ट्री संबंधित पक्षों को पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क एवं प्रमाणित प्रतियाँ नियमानुसार लागत के साथ उपलब्ध करायी जा सकती हैं अन्य सभी मामलों में, फीस की अनुसूची के अनुसार भेजेगी।"

12. धारा 421(1) एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील का उपाय प्रदान करती है। धारा 421 की उप-धारा (3) अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करती है और इसके अन्तर्गत प्रावधान अपीलीय न्यायाधिकरण को देरी को माफ करने के लिए सीमित विवेक प्रदान करता है। धारा 421 की उप-धारा (3) और इसके अन्तर्गत प्रावधान इस प्रकार है:

"421.न्यायाधिकरण के आदेशों से अपील

(1) xxxx

(2) xxxx

(3) उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील के उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि भीतर दायर की जाएगी। जिस दिन की एक प्रति ट्रिब्यूनल का आदेश पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे प्रारूप में होगा, और ऐसी फीस के साथ होगा, जैसा निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण पूर्वोक्त तिथि से पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, लेकिन पैंतालीस दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उस अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।"

13. इसलिए, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है, यह सही है कि धारा 421(3) में निर्धारित 45 दिनों की सीमा अवधि केवल उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रति

पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी सही है कि नियम 50 के साथ पठित अधिनियम की धारा 420(3) के अन्तर्गत, अपीलकर्ता आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क पाने के हकदार थे।

14. इसलिए यदि अपीलकर्ताओं ने प्रतिलिपि हेतु आवेदन दायर न करने का विकल्प चुना था, लेकिन नियम 50 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 (3) के संदर्भ में आदेश की एक निःशुल्क प्रति की प्राप्ति का इंतजार करने का फैसला किया था, तो उस तारीख को तय करने के लिए जिस से परिसीमा चलना शुरू होगी धारा 421(3) पर वापस आना पूरी तरह से उचित होगा लेकिन इस मामले में अपीलकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति में आदेश की घोषणा के 27 दिनों के बाद प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का विकल्प चुना और अब वे धारा 421(3) पर वापस आ गए हैं।

15. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद, हम अपीलकर्ताओं के विरूद्ध इस तथ्य को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं कि उन्होंने प्रतिलिपि आवेदन करने के लिए 25.10.2019 (एनसीएलटी के आदेश की तारीख) से दि.21.11.2019 तक इंतजार किया। लेकिन कम से कम दि.19.12.2019 से, जिस तारीख को अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई थी, परिसीमा की अवधि को चलने से नहीं रोका जा सकता है।

16. दिनांक 19.12.2019 से, जिस पर अपीलार्थियों के अधिवक्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई थी, अपीलकर्ताओं के पास फाइल करने के लिए 45 दिनों की अवधि थी। यह अवधि दिनांक 02.02.2020 को समाप्त हो गई।

17. धारा 421(3) के परन्तुक के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण को 45 दिनों की अवधि तक की देरी को माफ करने का अधिकार दिया गया था। 45 दिनों की यह अवधि दि.02.02.2020 से चलनी शुरू हुई और अपीलकर्ताओं के अनुसार दि.18.03.2020 को समाप्त भी हो गई। अपीलकर्ताओं ने दि.18.03.2020 को या उससे पहले अपील दायर नहीं की, बल्कि दि.20.07.2020 को इसे दायर किया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि लॉकडाउन दिनांक 24.03.2020 को लगाया गया था और अपीलकर्ताओं के लिए दिनांक 18.03.2020 को या उससे पहले अपील दायर करने में कोई बाधा नहीं थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, अपीलकर्ता इस न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश की सहायता ली है। यह हमें अपीलकर्ताओं के दूसरे तर्क पर ले जाता है।

तर्क-2

18. दिनांक 18.03.2020 को या उससे पहले अपील दायर करने में अपनी विफलता से उबरने के लिए, अपीलकर्ता इस न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3, 2020 के आदेश की सहायता ली है। यह इस प्रकार है:

"इस न्यायालय ने देश में कोविड-19 वायरस के कारण उत्पन्न चुनौती और उसके परिणामस्वरूप देश भर के वादियों को अपनी याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों का परिसीमा के सामान्य विधि के अन्तर्गत या विशेष कानूनों (केंद्र और/या राज्य दोनों) के अन्तर्गत निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर अन्य सभी कार्यवाही स्वत: संज्ञान लिया है।

ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिवक्ताओं/वादियों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाहियों में एक सीमा अवधि निर्धारित की जाए, भले ही कोई भी मामला हो। सामान्य विधि या विशेष विधि के अन्तर्गत निर्धारित सीमा, चाहे क्षमा योग्य हो या नहीं, 15 मार्च 2020 से वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेश तक विस्तारित रहेगी। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि यह आदेश सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों पर अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी आदेश है।

इस आदेश को सभी उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाया जाए ताकि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को सूचित किया जा सके। उच्च न्यायालय के सभी रजिस्ट्रार जनरल को चार सप्ताह में वापसी योग्य, नोटिस जारी करें।"

19. लेकिन हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत लाभ ले सकते हैं। इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश द्वारा जो बढ़ाया गया था वह केवल "सीमा की अवधि" थी, न कि वह अवधि जिसे क़ानून द्वारा प्रदत्त विवेक के प्रयोग में देरी को माफ किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का उद्देश्य उन सतर्क वादियों को लाभ पहुंचाना था, जिन्हें महामारी और लॉकडाउन के कारण सामान्य या विशेष विधि द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने से रोका गया था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा का विधि दो लैटिन कहावतों में निहित है, जिनमें से एक है विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट जिसका अर्थ है कि विधि केवल उन लोगों की सहायता करेगा जो अपने अधिकारों के बारे में सतर्क हैं, न कि उनकी जो उनकी अनदेखी करते हैं।

20. इस संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10 का संदर्भ देना उपयोगी हो सकता है जो इस प्रकार है:

"10. समय की संगणना - (1) जहां, कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात बनाए गए किसी [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन द्वारा किसी कार्य या कार्यवाही को किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन को या किसी विहित कालावधि के अन्दर किया जाना निदिष्ट या अनुज्ञात है वहां यदि वह न्यायालय या कार्यालय उस दिन या विहित कालावधि के अंतिम दिन बंद है तो वह कार्य या कार्यवाही ,उस निकट आगामी दिन को जब वह न्यायालय या कार्यालय खुला है, की जाती है तो वह सम्यक समय में कि गयी मानी जाएगी:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे कार्य या कार्यवाही को लागू न होगी, जिसे इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट 1877 (1877 का 15) लागू है।

(2) यह धारा 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सभी [केंद्रीय अधिनियमों] और विनियमों को लागू होती है।"

21. सामान्य धारा अधिनियम की धारा 10(1) का आधार बनने वाले सिद्धांत को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में भी जगह मिलती है जो इस प्रकार है:-

"4. विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो - जहाँ कि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता हो जिस दिन न्यायालय बन्द हो, वहाँ उस दिन वाद संस्थित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा, जिस दिन न्यायालय फिर खुले।

स्पष्टीकरण - न्यायालय इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस दिन बंद समझा जाएगा, जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बन्द रहे।

22. शब्द "परिसीमा काल" परिसीमा अधिनियम, 1963 की कई धाराओं में दिखाई देते हैं। हालांकि ये शब्द "परिसीमा काल" परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 में परिभाषित नहीं हैं, वाक्यांश का उपयोग केवल सीमा की अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं:
(i) धारा 3(1) परिसीमा काल के बाद दायर की गई प्रत्येक कार्यवाही को धारा 4 से 24 के प्रावधानों के अधीन, खारिज करने योग्य बनाती है।

(ii) धारा 5 परिसीमा काल के बाद किसी भी अपील या आवेदन को स्वीकार करने में सक्षम बनाती है।

(iii) धारा 6 कानूनी विकलांगता के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा शुरू की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्धारित अवधि वाक्यांश का उपयोग करती है।
23. इसलिए, धारा 4 में दिखाई देने वाली वाक्यांश "परिसीमा काल" का अर्थ सीमा की अवधि के अलावा कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है। परिसीमा काल से परे कोई भी अवधि, जिसके दौरान न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास किसी व्यक्ति को कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का विवेक होता है, उसे "निर्धारित अवधि" नहीं माना जा सकता है।

24. असम शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड' मामले में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 और 14 में "परिसीमा काल" शब्दों के अर्थ को इस प्रकार बताया

"13. 1963 अधिनियम की धारा 4 में महत्वपूर्ण शब्द हैं "परिसीमा काल"। इन शब्दों का क्या अर्थ है?
14. 1963 अधिनियम की धारा 2(जे) परिभाषित करती है"

"2() "परिसीमा काल" से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है, जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है और "विहित काल" से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है, जो उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो।

1963 अधिनियम की धारा 2(जे०) जब 1996 अधिनियम की धारा 34(3) के संदर्भ में पढ़ी जाती है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यस्थ निर्णय को निरस्त कराने का आवेदन करने की निर्धारित अवधि तीन महीने होती है। परंतुक में उल्लिखित 30 दिनों की अवधि जो 1996 अधिनियम की धारा 34 उपधारा (3) का अनुसरण करती है सीमा की अवधि नहीं है और इसलिए मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन के प्रयोजनों के लिए 'परिसीमा काल' नहीं है परंतुक के अन्तर्गत पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर न्यायालय तीन महीने से अधिक 30 दिन की अवधि बढ़ा सकती है। 'सीमा की अवधि' या, दूसरे शब्दों में, 'परिसीमा काल', हमारी राय में, 1963 अधिनियम की धारा 4, वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती है।"

25. इसलिए, अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा 23.03.2020 को पारित आदेश के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि उस अवधि तक भी जिसमें देरी को माफ किया जा सकता है। अत: दूसरा तर्क अप्रमाणिक है। अत: अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं। तदनुसार, उन्हें निरस्त किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलें निरस्त की जाती है।

नमितेश गुप्ता,
सिविल जज (अ०ख०),
कादीपुर सुलतानपुर।